प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 25/2023)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने "सामुदायिक रेडियो स्टेशनों से संबंधित मुद्दों" पर अनुशंसाएँ जारी कीं

नई दिल्ली, **22 मार्च 2023 -** भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने "सामुदायिक रेडियो स्टेशनों से संबंधित मुद्दों" पर अनुशंसाएँ जारी कीं हैं।

2. एमआईबी ने अपने संदर्भ दिनांक 11.11.2021 और 17.01.2022 के माध्यम से प्राधिकरण से निम्नलिखित मुद्दों पर भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(ए)(ii) और 11(1) (डी) के तहत अपनी अनुशंसाएँ प्रदान करने का अनुरोध किया :

(i) योग्य संगठनों की सूची में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत गैर-लाभकारी कंपनियों को शामिल करना

(ii) अनुमति की अवधि को 5 वर्ष की मौजूदा अवधि से बढ़ाकर 10 वर्ष करना

(iii) सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) पर प्रसारण के प्रति घंटे विज्ञापन की अधिकतम अवधि

(iv) गैर-लाभकारी संगठनों द्वारा प्रत्येक जिले में संचालित सामुदायिक रेडियो (सीआर) स्टेशनों की संख्या, जो कई जिलों में संचालित हो रहे हैं

3. इस संबंध में भादूविप्रा ने 21 जुलाई 2022 को एक परामर्श पत्र जारी किया था जिसमें सीआरएस से संबंधित मुद्दों पर हितधारकों की टिप्पणियां मांगी गई थीं। टिप्पणियाँ और प्रति-टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 17 अगस्त 2022 और प्रति-टिप्पणियाँ 31 अगस्त 2022 थी, जिसे कुछ हितधारकों के अनुरोध पर क्रमशः 31 अगस्त 2022 और 14 सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया था। भादूविप्रा को हितधारकों से 13 टिप्पणियाँ और 3 प्रति-टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं। ये टिप्पणियां भादूविप्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इस संबंध में 11 नवंबर 2022 को ऑनलाइन माध्यम से एक ओपन हाउस डिस्कशन का भी आयोजन किया गया था।

4. परामर्श प्रक्रिया के दौरान हितधारकों से प्राप्त सभी टिप्पणियों/प्रति-टिप्पणियों पर विचार करने और मुद्दों के आगे के विश्लेषण के बाद, प्राधिकरण ने अपनी अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया है। अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

(i) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत स्थापित गैर-लाभकारी कंपनियां सीआरएस के लिए मौजूदा पात्रता मानदंडों में पहले से ही शामिल हैं।

(ii) सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना के लिए कुछ प्रकार की संस्थाओं को छोड़कर एमआईबी दिशानिर्देशों में निर्धारित मौजूदा मानदंड समान रूप से धारा 8 कंपनियों पर भी लागू होते हैं।

(iii) दिनांक 12.11.2008 के 'प्रसारण और वितरण गतिविधियों में कुछ संस्थाओं के प्रवेश से संबंधित मुद्दों पर अनुशंसाए' में उल्लिखित सामुदायिक रेडियो स्टेशन सहित प्रसारण चैनलों के स्वामित्व से धार्मिक निकायों की अयोग्यता के संबंध में अनुशंसाओं को दोहराता है।

(iv) अनुमति की प्रारंभिक अवधि को एक बार में पांच (5) वर्ष से बढ़ाकर दस (10) वर्ष किया जाना चाहिए।

(v) सीआरएस लाइसेंस के विस्तार/नवीनीकरण के लिए वर्तमान नीतिगत दिशानिर्देश पर्याप्त हैं और इन्हें इसी तरह से जारी रखा जाना चाहिए।

(vi) सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को लाइसेंस विस्तार प्रदान करने के लिए संबंधित जिले के एसडीएम से निरंतर सेवा रिपोर्ट प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

(vii) सीआरएस पर विज्ञापन की अवधि सात (7) मिनट प्रति घंटा से बढ़ाकर बारह (12) मिनट प्रति घंटा की जानी चाहिए।

(viii) कई जिलों में काम कर रहे गैर-लाभकारी संगठनों को अपने कार्यक्षेत्र में कई सीआरएस स्थापित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(ix) एक संगठन को पूरे देश में अधिकतम छह (6) सीआरएस स्थापित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(x) एक से अधिक स्टेशनों को स्थापित करने की मांग करने वाले संगठन को यह पुष्टि करते हुए एक उपक्रम प्रस्तुत करना चाहिए कि कार्यक्रम स्थानीय रूप से तैयार किए जाएंगे और अन्य सीआरएस से नहीं भेजे जाएंगे।

(xi) सीआरएस की स्थिरता में मदद करने के लिए एमआईबी सीआरएस पर अधिक कार्यक्रमों को प्रायोजित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ काम कर सकता है।

(xii) केंद्र/राज्य सरकारों के सभी विश्वविद्यालयों को सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना और संचालन के लिए बजटीय सहायता प्रदान की जा सकती है। एमआईबी

सक्रिय रूप से ऐसे विश्वविद्यालयों के लिए लाइसेंस/स्पेक्ट्रम प्रदान करने का प्रयास कर सकता है।

(xiii) सीआरएस देने की सभी प्रक्रियाओं को सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन किया जाना चाहिए।

(xiv) एसएसीएफए मंजूरी आवेदन के एक महीने के भीतर दी जानी चाहिए।

(xv) डब्ल्यूओएल लाइसेंस प्रदान करने की भी एक निर्धारित अवधि होनी चाहिए, अधिमानतः आवेदन के एक महीने के भीतर।

5. अनुशंसाओं का पूरा पाठ भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

6. किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार (बी एंड सीएस) से दूरभाष: +91-11-23237922 पर संपर्क किया जा सकता है।

(वी. रघुनंदन)

सचिव, भादूविप्रा